प्रमाणित प्रतिलिपि

26-5-15

न्यायालय श्रीमान सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर

रा. रिवीजन प्र.क्रं. निगरानी 1190-I-15/2015

प्रस्तुति दिनांक 25-5-15

शंकर उर्फ उमाशंकर पटेल
तनय स्व. श्री बल्ले पटेल
निवासी इतवारी वार्ड, सागर तहसील व
जिला सागर (म.प्र.)

.... आवेदक / रिवीजनकर्ता

श्री मुकेश भार्गव अभि. द्वारा आज दि. 25-5-15 को प्रस्तुत

25-5-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

विरूद्ध

1. श्रीमती रामकली विधवा श्री काशीराम यादव
2. रामशंकर बल्द स्व. श्री काशीराम यादव
3. रामगोपाल बल्द स्व. श्री काशीराम यादव
4. नारायण बल्द स्व. श्री काशीराम यादव
5. सत्यनारायण बल्द स्व. श्री काशीराम यादव
6. राजाराम बल्द स्व. श्री बुद्धे यादव

सभी निवासीगण ग्राम रजाखेड तहसील व
जिला सागर (म.प्र.)

..... अनावेदकगण

मुकेश भार्गव
25-5-15 एडवोकेट
ग्वालियर

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1190–एक/15 जिला – सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7–7–15	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश भार्गव एवं अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जे.एल. अग्निहोत्री उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया । 2/ प्रकरण का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया । आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अनावेदकों द्वारा पूर्व में ही सिविल वाद दायर किया जा चुका है जो अभी लंबित है व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन नहीं दिया गया है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण को तीन माह के स्थगित किए जाने में त्रुटि की गई है । यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय ने उक्त आदेश आवेदक को बिना सुने दिया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । 3/ अनावेदक की ओर से तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश उभयपक्षों को सुनने के बाद पारित किया है । सिविल न्यायालय से निर्णय अभी होना है ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा की जा रही कार्यवाही उचित है ।. उनके द्वारा गुणदोषों पर भी लिखित आपत्ति पेश कर निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया । 4/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । यह प्रकरण बटांकन है जो आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । आलोच्य आदेश द्वारा तहसीलदार ने अनावेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन पर से उन्हें तीन माह का समय सिविल न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराने के लिए	

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	दिया है । उक्त आदेश दिनांक 18–5–15 को पारित किया है जबकि अनावेदक द्वारा आवेदन दिनांक 21–5–15 को पेश किया गया है जैसाकि उस पर तहसीलदार की टीप से स्पष्ट है । प्रकरण के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अनावेदक द्वारा आवेदक के विरूद्ध विवादित भूमि पर स्वत्व के संबंध में सिविल वाद पूर्व ही प्रस्तुत किया जा चुका है जो अभी लंबित है लेकिन उसका उल्लेख अनावेदकों ने अपने आवेदन दिनांक 21–5–15 के आवेदन में नहीं किया है । दर्शित परिस्थिति में तहसीलदार द्वारा अनावेदकों को व्यवहार वाद प्रस्तुत करने के लिए समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है । अनावेदकों द्वारा प्रस्तुत व्यवहार वाद में व्यवहार न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी किया गया है यह भी अनावेदक अधिवक्ता स्पष्ट नहीं कर सके । दर्शित परिस्थति में तहसीलदार का आलोच्य आदेश स्थिर नहीं रखा जा सकता । अतः उसे निरस्त किया जाता है तथा प्रयकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ भेजा जाता है कि वे उभयपक्षों को सुनवाई का अवसर देकर प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करें । तहसीलदार को यह निर्देश भी दिये जाते हैं कि प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में यदि व्यवहार न्यायालय से कोई आदेश पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया जाता है तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की जाये । उक्त निर्देश के साथ यह निगरानी निराकृत की जाती है । 3/ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस हो । सदस्य	